

शुभचन्द्र वनाम गंगाशय

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
307/24		<p>पत्रावली पत्रा है, वकील उमपे पक्ष उपस्थित। वकील वादी का सूत्र वाद से ज.पत्र 07/11/11 CPC सीमा (हो जाने के कारण सूत्र वाद खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में उक्त पत्रा पत्र 19 को अगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है उक्त पत्रा का पत्रा पत्र 19 हाट दीन से वादि विप्रा जाता है अपापालप एका के आदेश दिनांक 12.8.12 को जारी अन्तर्गत स्थान आदेश 9 भाव धरूप देने से निरस्त विप्रा जाता है पत्रावली फौजल थुमार होना कद वकील वादिस दफ्तार हो।</p> <p style="text-align: right;">उपजुड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर</p>	